THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Orders have been issued for carrying out safety audit of all the coal mines under Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited. Priority being given to underground mines in the first instance. which are likely to be completed soon.

Accidents in Coal Mines in the country

678. SHRIMATI SARALA MAHESWARI:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the number of coal mines in the country, State-wise;

(b) what are the names of the places where coal mining work is going on;

(c) the number of accidents occurred in these coal mines during the last three years and so far in the current year;

(d) whether it s a fact that the number of accidents in coal mines are increasing.

(e) the number of persons who died in the accidents;

(f) the steps taken by Government to tight the safety measures;

(g) whether any compensation has been given to the affected families during the above period; and

(h) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) The State-wise details of coal mines under Coal India Ltd. (CIL) and Singareni Collierics Company Ltd. are given below:

State	No. of Coal Mines
(A) CIL	
1. West Bengal	111
2. Bihar	189
3. Uttar Pradesh	4
4. Madhya Pradesh	125
5. Maharashtra	39
6. Orissa	21
7. Assam	5
(B) SCCL:	
1. Andhra Pradesh	66
TOTAL (CIL + SCCL)	560

(c) to (e) The details of the number of accidents in coal mines of Coal India Ltd. and the number of persons killed during the last three years are as follows. The number of accidents was lower in 1993 as compared to 1992.

Calendar year	No. of accidents	No. of death
1991	116	120
1992	130	149
1993	111	123
1994 (upto 20.2.1994)	14	69

(f) In addition to the statutory requirements, the following safety measures have been adopted by the coal companies for ensuring safety in coal mines of CIL;

(i) Thrust on roof bolting and roof stitching.

(ii) Intensive monitoring and enforcement of support of green roof areas in mines.

(iii) Creation of awareness at all levels by direct interaction with Area Safety Officers and Colliery Safety Officers of accident prone mines.

(iv) Holding of crash training programme at unit level.

(v) Periodic review with the chief of Internal Safety Organisation of the companies.

(vi) Analysis of accidents due to roof fall and suggestion of remedial measures etc.

(g) and (h) In the case of death, an ex-gratia of Rs. 10,000/- and funeral expenses are immediately paid by the coal companies. Besides, the compensation as admissible under the provisions of Workmen's Compensation Act is deposited with the Workmen Compensation Commissioner for

payment to the next of the kin of the deceased.

कोल इंडिया लिमिटेड में सलाहकार

679. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में कई सलाहकार कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक ओर तो सलाहकारों की नियुक्ति तथा दूसरी ओर अधिशेष कर्मचारियों और अधिकारियों की छंटनी का मामला है, इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन सलाहकारों के माफिया लोगों तथा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध कायम हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० जो एक धारक कंपनी है, ने क्रमशः भूमि अधिग्रहण के मामलों तथा पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित अध्ययनों को तैयार किए जाने के लिए दो पूर्णकालिक सलाहकार, परामर्शदाता नियुक्त किया है। कंपनी विभिन्न निकायों में परामर्शदाताओं का एक पैनल भी रखती है, जिनकी सेवाओं का उपयोग जिनकी विशेषज्ञता क्षेत्रों में जब भी आवश्यकता होती है तब अस्थायी आधार पर किया जाता है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी नहीं होती है। किन्तु सरकार ने कंपनी की सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया को जारी न रखने की सलाह दी है।

(घ) इन सलाहकारों का माफिया अथवा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। इस संबंध में किसी तरह की जांच नहीं की गई है।

कोयले के ग्रेड में परिवर्तन से संबंधित आंकड़े

680. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० के पास ग्रेड "ई" कोयले को ग्रेड "डी" कोयले में परिवर्तित करने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस अधिकारी का पदनाम क्या है, जो परिवर्तन के उक्त कार्य के लिए प्राधिकृत है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) जैसाकि कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने सूचित किया है कि सामान्यतः आबंटित किए गए "ई" ग्रेड के कोयले के आबंटियों को ग्रेड "डी" कोयले में परितवर्तित नहीं किया जाता है। किन्तु आबंटित ग्रेड के कोयले की अनुपलब्धता होने तथा उपभोक्ताओं को कठिनाइयों के बचाने के लिए, अगले उच्च ग्रेड के कोयले को आबंटित कर दिया जाता है। निम्न ग्रेड के आबंटित व्यक्तियों को कोयले के उच्च ग्रेड में परिवर्तित करना इस विषय में बिक्री नीति निदेशों के अनुसार किया जाता है, जिसका कि दिनांक 4.5.89 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की 5वीं बैठक तथा कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड ने अपनी 102वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया था। इस निर्णय से संबंधित सार नीचे दिया गया है:—

"रेल द्वारा — ऐसी कोलिरियां जहां कि रैक्स में केवल मिश्रित ग्रेड के कोयले के उठान की सुविधा है, सहायक कंपनियां समीपस्थ उच्च या निम्न ग्रेड के कोयले के लिए अपनी रज़ामंदी दे देती हैं ताकि लदान में किसी तरह की कठिनाई न हो तथा रैक्स न बन सकें।

सड़क द्वारा — सड़क से संयोजित उपभोक्ताओं को संयोजित ग्रेड से उच्च ग्रेड के कोयले को जारी किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए जबकि संयोजित कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रेषित किए जाने